बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना

– कार्यालय आदेश –

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की दिनांक 05.09.2022 की आयोजित बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित विभिन्न वर्षों के माध्यमिक, इन्टरमीडिएट एवं डी०एल०एड० परीक्षा के द्वितीयक/तृतीयक अंक पत्र/प्रमाण पत्र/औपबंधिक प्रमाण पत्र/सूचीकरण/पंजीयन प्रमाण पत्र/प्रव्रजन प्रमाण पत्र आदि प्राप्ति के लिए परीक्षाफल निर्गत होने के कितने वर्षों के बाद भी आवेदन प्राप्त हो रहे हैं, को ध्यान में रखते हुए उक्त प्रमाण पत्रादि निर्गत किए जाने हेतु निम्नवत् प्रक्रिया शुल्क (Processing Fee) लेने का आदेश दिया जाता है :–

क्र. सं.	द्वितीयक प्रमाण पत्र का प्रकार एवं अन्य	माध्यमिक परीक्षा हेतु संशोधित शुल्क	उच्च माध्यमिक परीक्षा हेतु संशोधित शुल्क	D.El.Ed परीक्षा हेतु संशोधित शुल्क
1	पुनरीक्षण	120/–		
2	द्वितीयक प्रमाण–पत्र (Duplicate Certificate Non DMS)	175/–		
3	द्वितीयक अंक–पत्र (Duplicate Marks-sheet Non DMS)	125/–		
4	प्रवेश पत्र (Admit Card) परीक्षा उत्तीर्णता अवधि से अगले दस साल तक	100/–		

2. समिति के स्तर पर यह भी पाया गया है कि द्वितीयक/तृतीयक अंक पत्र/प्रमाण पत्र/औपबंधिक प्रमाण पत्र/सूचीकरण/पंजीयन प्रमाण पत्र/प्रव्रजन प्रमाण पत्र एवं अन्य की प्राप्ति के लिए परीक्षा उत्तीर्णता वर्ष के कई वर्षों के उपरान्त आवेदन प्राप्त होते हैं, जिनके लिए एक ही शुल्क निर्धारित है। अतः माध्यमिक, उच्च माध्यमिक एवं विविध के परीक्षार्थी को उक्त अभिलेख निर्गत करने के मद में शुल्क व्यवस्था निम्नांकित रूप में निर्धारित किया जाता है :–

क्र०सं०	दस्तावेज/अभिलेख	शुल्क
1	सभी तरह के प्रमाण पत्र की द्वितीयक/तृतीयक प्रति	
(i)	परीक्षा का वर्त्तमान वर्ष	रू0 200
(ii)	उत्तीर्णता वर्ष से पाँच वर्ष तक	रू0 500
(iii)	उत्तीर्णता वर्ष से दस वर्ष तक	रू0 1000
(iv)	उत्तीर्णता वर्ष से पन्द्रह वर्ष एवं इससे ऊपर तक	रू0 2500
(v)	अविलम्ब एवं तत्काल के लिए	रू0 2500 (पन्द्रह वर्ष एवं उसे ऊपर के लिए) शेष के लिए उपर्युक्त कोटि के अनुसार निर्धारित शुल्क +500

3. यह समिति की बैठक दिनांक 05.09.2022 की विषय संख्या–24 के तहत अनुमोदित है।
4. यह आदेश तत्कालिक प्रभाव से लागू माना जायेगा।

ह०/– 10/9/22

सचिव
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना।

ज्ञापांक : कार्या-से-1051/2022 पटना, दिनांक : 16/09/2022

प्रतिलिपि : 1. समिति के सभी पदाधिकारी/प्रशाखा पदाधिकारी तथा कर्मी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
2. समिति के सभी क्षेत्रीय कार्यालय के उप सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
3. अध्यक्ष एवं सचिव के आप्त सचिव, विशेष कार्य पदाधिकारी एवं परीक्षा नियंत्रक (मा०/उ०मा०)/विविध को सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/– 10/9/22

सचिव
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना।